भारत सरकार

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

पशुपालन और डेयरी विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3460

दिनांक 01 अप्रैल, 2022 के लिए प्रश्न

बीमारियों से प्रभावित पशुधन

3460 श्री नीरज डांगी

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि विभिन्न बीमारियों के कारण बड़ी संख्या में पशु बहुत बुरी तरीके से प्रभावित हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या पशुधन की कमी के कारण गरीबी के चलते किसानों की आत्महत्या संबंधी आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में पशुधन की संख्या बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा राज्यों को दी गई सुविधाओं का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री

(श्री परशोत्तम रूपाला)

(क): सरकार खुरपका और मुंहपका रोग (एफएमडी), ब्रुसेलोसिस, हेमोरेजिक सेप्टिसीमिया (एचएस), लम्पी त्वचा रोग (एलएसडी), ब्लैक क्वार्टर (बीक्यू), क्लासिकल स्वाइन ज्वर (सीएसएफ), न्यू कैसल रोग, पेस्ट डेस पेटिट्स रुमिनेंट्स (पीपीआर), आदि जैसे पशुओं में होने वाले रोगों से अवगत है। केंद्र सरकार आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण, विदेशी, आकस्मिक और जूनोटिक रोगों सहित प्रमुख पशु रोगों के नियंत्रण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। किसान के दरवाजे पर पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

(ख) और (ग): ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(घ): पिछले तीन वर्षों के दौरान, भारत सरकार ने पशु स्वास्थ्य, पशु उत्पादन, पशु पोषण, देशी बोवाइन नस्लों के संरक्षण, नस्ल सुधार, आहार और चारा विकास से संबंधित क्षेत्रों में राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की सहायता करने के लिए विभागीय योजनाओं के माध्यम से निम्नलिखित पहलें शुरू की है जो स्वस्थ पशुधन आबादी की वृद्धि में मदद करती है:

1. **राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम):** देशी बोवाइन नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए
2. **राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी):** दूध और दुग्ध उत्पादों की गुणवत्ता बढ़ाने और संगठित खरीद का हिस्सा बढ़ाने, प्रसंस्करण, मूल्य वर्धन और विपणन, पोषण संबंधी हस्तक्षेपों के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि के लिए।
3. **डेयरी प्रसंस्करण और अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ):** दुग्ध प्रशीतन एवं प्रसंस्करण संयंत्रों, मूल्य वर्धित उत्पाद निर्माण सुविधाओं, ऊर्जा दक्षता अवसंरचना, प्रशिक्षण सुविधाओं, पशु चारा संयंत्र, आदि का निर्माण/ सुदृढ़ीकरण/ आधुनिकीकरण।
4. **पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एलएच एंड डीसीपी):** केंद्र सरकार टीकाकरण के माध्यम से प्रमुख रोगों के उन्मूलन और नियंत्रण के साथ-साथ मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) के माध्यम से पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
5. **पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ):** व्यक्तियों, एफपीओ,किसान उत्पादक संगठनों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम और निजी कंपनियों द्वारा डेयरी प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, मीट प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, पशु आहार संयंत्र और तकनीकी रूप से बेहतर नस्ल वृद्धि अवसंरचना की स्थापना को प्रोत्साहित करना।
6. **राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):** आहार और चारा विकास को शामिल करते हुए कुक्कुट, भेड़, बकरी और सुअर पालन में उद्यमिता विकास और नस्ल सुधार ।
7. **डेयरी सहकारी समितियों और किसान उत्पादक संगठनों को सहायता**: सुलभ कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करके राज्य डेयरी सहकारी संघों की सहायता करना।
8. **पशुधन संगणना और एकीकृत नमूना सर्वेक्षण:** नवीनतम पशुधन संगणना के आधार पर प्रजाति वार नस्ल-वार रिपोर्ट को समग्र और अलग-अलग स्तर पर प्रकाशित करना ताकि नीतिगत निर्णय लिए जा सकें।

*****